

29.5.19


पत्रावली सीगह से तलब होकर पेश हुई वकील प्रार्थी
उपस्थित विपक्षीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः
इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
सक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट के तहत इस
आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा तहसील डूंगला
मण्डल अक्षरे तहसील डूंगला की आराजी नम्बर ...
237/99

रकबा 0.2162 हैक्टर/बीघा भूमि स्वयं के खातेदारी होकर
राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, जिसका कोई स्थायी सीमा चिन्ह
नहीं है। तथा विपक्षीगण आराजी के पड़ोसी है प्रार्थी और
विपक्षी के मध्य आराजी सीमा को लेकर आये दिन विवाद
होता रहता है, इसलिए उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी
कराई जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया
गया, बहस सुनी गई। प्रार्थी जैर बहस आराजी का खातेदार
होकर उन्हें नपती कराने का अधिकार निहित है। अतः
तहसीलदार डूंगला को 2000/- अक्षरे दो हजार रुपये
फीस पर कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया
जाता है कि मुकदमा पक्षकारान की उपस्थिति में बंदोबस्ती
नक्शे के अनुसार बिना किसी के कब्जे काशत में दखल दिये
मौजा तहसील डूंगला पटवार मण्डल अक्षरे
तहसील डूंगला की आराजी नम्बर 237/199

रकबा 0.2162 है0/बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी
मुक्कमल तौर पर की जावें।
पत्थरगढ़ी पालना प्रतिवेदन दिनांक 28/6/19 तक
न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर
संलग्न पत्रावली हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
डूंगला